



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233432
CG-DL-E-15022022-233432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]
No. 117]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 119(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा समूह 'क' में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (समूह 'क')नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) 'एसीसी' से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अभिप्रेत है।
- (ख) 'आयोग' से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।
- (ग) 'नियंत्रक प्राधिकारी' से भारत सरकार का रेल मंत्रालय अभिप्रेत है।
- (घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय पुष्टि समिति और विभागीय छानबीन समिति" से अधिकारियों की प्रोन्नति, पुष्टि पर विचार करने और क्रमशः अकृत्यक उन्नयन और अकृत्यक चयन श्रेणी प्रदान करने के लिए इन नियमों की अनुसूची-III के अनुसार किसी श्रेणी में गठित समितियां अभिप्रेत हैं।

- (ड) 'ड्यूटी पद' से इन नियमों की अनुसूची-1 में वर्णित किसी श्रेणी का कोई भी पद अभिप्रेत है।
- (च) 'परीक्षा' से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है।
- (छ) 'सरकार' से भारत सरकार अभिप्रेत है।
- (ज) 'श्रेणी' से अनुसूची-1 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट ड्यूटी पदों की श्रेणियां अभिप्रेत है।
- (झ) किसी श्रेणी के संबंध में 'नियमित सेवा' से उस श्रेणी के नियमों के अधीन उसका चयन और उसकी नियुक्ति के पश्चात् की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत निम्नलिखित ऐसी अवधि भी है-
- जो इन नियमों के प्रारंभ के समय पहले से ही श्रेणी में शामिल व्यक्तियों की दशा में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई;
 - जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में ड्यूटी पद धारण किया होता किंतु उसके छुट्टी पर होने के कारण अथवा अन्यथा ऐसे पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था।
- (ञ) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर" से रेल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग क की तीसरी पंक्ति में विनिर्दिष्ट स्तर अभिप्रेत है।
- (ट) "वेतन मैट्रिक्स" से तत्स्थानी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान का ऊर्ध्वतः कोष्ठकों में व्यवस्थित वेतन स्तर सहित रेल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है।
- (ठ) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूचियां अभिप्रेत है।
- (ड) 'सेवा' से भारतीय रेल प्रबंधन सेवा अभिप्रेत है, जिसमें इन नियमों की अनुसूची-1 में वर्णित पद या श्रेणियां अथवा समयमान होंगे।
- (ढ) 'अनुसूचित जातियों', 'अनुसूचित जनजातियों', 'अन्य पिछड़ा वर्गों', 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और 'दिव्यांग जनों' शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान अथवा संसद अधिनियम में है।

3. सेवा का गठन.-

- (क) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के रूप में ज्ञात एक संगठित सेवा, जो नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, इन सेवा नियमों की अधिसूचना के साथ गठित किया जाएगा।
- (ख) सेवा में सम्मिलित सभी पदों को समूह क पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

4. श्रेणियां, प्राधिकृत पदसंख्या और इसका पुनर्विलोकन.-

- (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ड्यूटी पद के पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, श्रेणियां, स्वीकृत पदसंख्या वे होंगे जो अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।
- (2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसीबात के होते हुए भी, सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा-
क अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट ड्यूटी पदों की संख्या, श्रेणी, पदनाम और वेतन मैट्रिक्स के स्तरमें परिवर्धन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या आशोधन कर सकती है;
- ख आयोग के परामर्श से, अनुसूची-1 में वर्णित सेवा में किसी भी ड्यूटी पद को शामिल या सेवा से किसी भी ड्यूटी पद को निकाल सकती है।
- ग आयोग के परामर्श से, उचित श्रेणी पर खंड (ख) के अधीन सेवा में शामिल किसी भी ड्यूटी पद पर अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

5. सेवा के सदस्य.-

निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्-

- (1) नियम 4 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन आने वाले व्यक्ति; और
- (2) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

6. सेवा को भविष्य में बनाए रखना.-

- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में किसी भी रिक्ति को निम्नलिखित रीति से भरा जाएगा, अर्थात्:-
- (क) कनिष्ठ समयमान श्रेणी रिक्तियों का 50% आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और आयु सीमा के आधार पर आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
- (ख) कनिष्ठ समयमान में रिक्तियों का 50% अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट रीति द्वारा चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
- (2) कनिष्ठ समयमान की श्रेणी में नियुक्ति आयोग के परामर्श से की जाएगी।
- (3) सेवा के वरिष्ठ समयमान और उससे ऊपर की श्रेणियों में नियुक्ति अगली निम्नतर श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा रखने वाले अधिकारियों में से और अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट रीति द्वारा की जाएगी।
- (4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन, अकृत्यिक चयन श्रेणी के पद पर प्रोन्नति के मामले के सिवाय, जो अनुसूची-III के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिश पर उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।
- (5) उप-नियम 3 के अधीन प्रत्येक मामले में चयन, शीर्ष, एचएजी+ और एचएजी पद के सिवाय, विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। इन मामलों में चयन, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से समय-समय पर जारी इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए अधिकारियों के चयन हेतु मानकों से संबंधित रेलवे बोर्ड के संकल्प द्वारा शासित होगा।

7. वरिष्ठता.-

- (1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता और कनिष्ठ समयमान की श्रेणी में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों तथा इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर तथा से कनिष्ठ समयमान में प्रोन्नत अधिकारियों के बीच परस्पर वरिष्ठता सरकार अथवा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी वरिष्ठता संबंधी सामान्य आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (2) वे मामले जो नियम 7 के उप-नियम (1) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के लिए वरिष्ठता का अवधारण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अथवा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

8. अन्य विभागों अथवा संगठनों में प्रतिनियुक्ति.-

इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस सेवा में नियुक्त अधिकारी ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिए समय-समय पर सरकार के अनुदेशों अथवा लागू आदेशों के अध्यधीन, किसी अन्य केंद्रीय संगठन अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य देश, जिसके साथ इस संबंध में सरकार अथवा राज्य सरकार ने लोकहित में करार किया हो, प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए दायी होगा।

9. भारत के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व.-

सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत अथवा भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।

10. परिवीक्षा.-

- (1) कनिष्ठ समयमान में सीधी भर्ती द्वारा या तो प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा:

परंतु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा।

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने का विनिश्चय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् सामान्यतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने के कारणों सहित उसको लिखित में उक्त अवधि के भीतर संसूचित किया गया हो।

- (2) परिवीक्षा की अवधि या उसमें किए गए विस्तार की समाप्ति पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाए तो उसे नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति में रखा जाएगा और अधिष्ठायी रिक्ति उपलब्ध होने पर, जैसा भी मामला हो, यथासमय उनकी पुष्टि कर दी जाएगी।
- (3) यदि परिवीक्षा की अवधि अथवा उसमें किए गए विस्तार के दौरान, जैसा भी मामला हो, सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार उस अधिकारी को सेवोन्मुक्त कर सकती है अथवा इस सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है।
- (4) परिवीक्षा की अवधि अथवा उसमें अन्य विस्तार के दौरान परिवीक्षा के संतोषजनक पूरा करने की शर्त के रूप में यदि सरकार उपयुक्त समझे तो अधिकारी ऐसा प्रशिक्षण और अनुदेश प्राप्त करें तथा ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण (हिंदी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करें।
- (5) सभी मामले, जो विशिष्ट रूप से इसमें उपबंधित नहीं हैं, परिवीक्षार्थी समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रेल स्थापना संहिताओं अथवा नियमावलियों के उपबंधों तथा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी लागू अन्य आदेशों द्वारा शासित होंगे।

11. अकृत्यिक उन्नयन.—

- (1) जब कभी राज्य अथवा संयुक्त काडर का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी केंद्र में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर में किसी विशिष्ट श्रेणी में पदस्थापित किया जाता है, जिसके लिए अकृत्यिक उन्नयन लागू हो, तो इस सेवा के सदस्य, जो ऐसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से दो वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ है और अभी तक उस विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नत नहीं किया गया है, को केंद्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पदस्थापन की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान की जाएगी।
- (2) वेतन मैट्रिक्स में विशिष्ट स्तर के उन्नयन के लिए 'बैंचमार्क' सहित सभी विहित पात्रता मानदंड और प्रोन्नयन मानकों को वेतन मैट्रिक्स में उच्च स्तर प्रदान करने के लिए छानबीन करते समय पूरा करना होगा।
- (3) अकृत्यिक उन्नयन, अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय छानबीन समिति की सिफारिशों पर प्रदान किया जाएगा।
- (4) अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने की निबंधन और शर्तें सरकार द्वारा उक्त विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार होंगे।

12. सेवा की अन्य शर्तें.—

ऐसे विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें, सरकार द्वारा अन्यथा आदेश दिए जाने तक वही रहेंगी, जो समय-समय पर संगठित समूह 'क' केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू है।

13. निरर्हता.—

वह व्यक्ति:

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

सेवा पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

14. वेतन, छुट्टी और पेंशन का विनियमन.-

विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों का वेतन, वेतनवृद्धि, छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1 और जिल्द-11 और भारतीय रेल स्थापना नियमावली या सरकार अथवा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी लागू अन्य सुसंगत अनुदेशों के अनुसार विनियमित होंगी।

15. शिथिल करने की शक्ति.-

जहां नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

16. व्यावृत्ति.-

इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

17. निर्वचन.-

इन नियमों के निर्वचन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठता है तो आयोग के परामर्श से नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इसका विनिश्चय किया जाएगा।

अनुसूची -I

(नियम 2(ङ), 2(ज), 2(ज,ट,ठ,ड), 4(1), 4(2) और 6(1)देखें)

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा में शामिल किए गए झूटी पदों की श्रेणियां, पदनाम, स्वीकृत पदों की संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर

क्र सं.	झूटी पद की श्रेणियां	पदनाम@		वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या *
		रेलें	रेलवे बोर्ड		
1.	शीर्ष	--	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य, महानिदेशक	स्तर 17 (225000 रु.)	7
2.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+	महाप्रबंधक	अपर सदस्य	स्तर 16 (205400-224400 रु.)	59
3.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	प्रधान मुख्य प्रबंधक	प्रधान कार्यपालक निदेशक	स्तर-15 (182200-224100 रु.)	139
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	मुख्य प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	स्तर 14 (144200-218200 रु.)	791
5.	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	उप मुख्य प्रबंधक	निदेशक	स्तर 13 (123100-215900 रु.)	2325 # वरिष्ठ समयमान और उससे ऊपर के कुल पदों का 30% तक अकृत्यिक चयन श्रेणी में होगा
6.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	उप मुख्य प्रबंधक	लागू नहीं	स्तर 12 (78800-209200 रु.)	

7.	वरिष्ठ समयमान	वरिष्ठ प्रबंधक अथवा मंडल प्रबंधक	लागू नहीं	स्तर 11 (67700-208700 रु.)	1395
8.	कनिष्ठ समयमान	सहायक प्रबंधक	लागू नहीं	स्तर 10 (56100-177500 रु.)	450

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

@ कार्य की प्रकृति के आधार पर नए पदनाम जोड़े जा सकते हैं।

(क) संवर्ग के समग्र पदसंख्या में कोई वृद्धि नहीं है।

(ख) अकृत्यिक चयन श्रेणी में संचालित किए जाने वाले पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची II

(नियम 2(क), 2(ख), 2(झ), 6(1) और 6(3) देखें)

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के उच्चतर ड्यूटी पद (पदों) या श्रेणी (श्रेणियों) में प्रोन्नति के लिए नियुक्ति की पद्धति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र.सं.	ड्यूटी पद, श्रेणी का नाम और वेतन मैट्रिक्स में स्तर	नियुक्ति की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शीर्ष (स्तर 17)	प्रोन्नति द्वारा और एसीसी के अनुमोदन से समय-समय पर जारी किए गए रेलवे बोर्ड के संकल्पों द्वारा शासित की जाएगी।	जैसा कॉलम सं. 3 में दिया गया है।
2.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+ (स्तर 16)	प्रोन्नति द्वारा और एसीसी के अनुमोदन से समय-समय पर जारी किए गए रेलवे बोर्ड के संकल्पों द्वारा शासित की जाएगी।	जैसा कॉलम सं. 3 में दिया गया है।
3.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (स्तर 15)	प्रोन्नति द्वारा और एसीसी के अनुमोदन से समय-समय पर जारी किए गए रेलवे बोर्ड के संकल्पों द्वारा शासित की जाएगी।	जैसा कॉलम सं. 3 में दिया गया है।
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर 14)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अर्थात् अकृत्यिक चयन श्रेणी सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में आठ वर्ष की नियमित सेवा या समूह 'क' में सत्रहवर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी जिसमें से चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यिक चयन श्रेणी सहित कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।
5.	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) (स्तर 13)	उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर नियोजन द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस परीक्षा, जिसके आधार पर अधिकारी को भर्ती किया गया था, अगले वर्ष या उस वर्ष जिसमें उसे समूह 'क' में प्रोन्नत किया गया था, जैसा भी मामला हो, के वर्ष से संगठित वर्ष की 1 जनवरी से समूह 'क' की नियमित सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है।

6.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर 12)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	वरिष्ठ समयमान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में सेवा के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
7.	वरिष्ठ समयमान (स्तर 11)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	कनिष्ठ समयमान में ऐसे अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में समूह 'क' में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।
8.	कनिष्ठ समय मान (स्तर 10)	केंद्रीय सरकार या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित आयु, शैक्षिक अर्हताओं और अन्य शर्तों के अनुसार सिविल सेवा परिक्षा के माध्यम से 50% सीधी भर्ती द्वारा।	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित।
		चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 50% ।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 या स्तर 9 में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के ऐसे समूह 'ख' अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

अनुसूची-III

(नियम 2(क), 2(ख), 2(घ), 6(4) और 11(3) देखें)

भारतीय रेल प्रबंधन सेवा की समूह 'क' झूटी पदों पर प्रोन्नति या पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति एवं वेतन मैट्रिक्स के विशिष्ट स्तर में वेतन के मामलों पर विचार करने हेतु छानबीन समिति, जिनके लिए अकृत्यिक उन्नयन लागू है।

क्र. सं.	झूटी पद जिसके लिए प्रोन्नति, पुष्टि या अकृत्यिक उन्नयन किया जाना है।	कॉलम सं. 2, में वर्णित संबंधित झूटी पद के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना।	पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 24.04.2009 एवं 25.09.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/64/2008-एस्ट.(आरआर) के अनुसार अकृत्यिक उन्नयन के लिए छानबीन समिति की संरचना।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शीर्ष	मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से समय-समय पर जारी रेलवे बोर्ड के संकल्पों द्वारा शासित होगा।	लागू नहीं।	लागू नहीं
2	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी +	मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से समय-समय पर जारी रेलवे बोर्ड के संकल्पों द्वारा शासित होगा।	लागू नहीं।	लागू नहीं

3	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से समय-समय पर जारी रेलवे बोर्ड के संकल्पों द्वारा शासित होगा।		लागू नहीं।	जैसा कि कॉलम सं. 3 में दिया गया है।	
4	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड	अध्यक्ष	लागू नहीं।	छानबीन समिति की संरचना विभागीय प्रोन्नति समिति के समान होगी जैसा कि कॉलम सं. 3 में दिया गया है।	
		अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट बोर्ड के कोई दो सदस्य।	सदस्य			
5	अकृत्यिक चयन श्रेणी	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड	अध्यक्ष	लागू नहीं।	छानबीन समिति की संरचना विभागीय प्रोन्नति समिति के समान होगी जैसा कि कॉलम सं. 3 में दिया गया है।	
		अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट बोर्ड के कोई दो सदस्य।	सदस्य			
6	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड	अध्यक्ष	लागू नहीं।	छानबीन समिति की संरचना विभागीय प्रोन्नति समिति के समान होगी जैसा कि कॉलम सं. 3 में दिया गया है।	
		अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट बोर्ड के कोई दो सदस्य	सदस्य			
7	वरिष्ठ समयमान	संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष	लागू नहीं।	छानबीन समिति की संरचना विभागीय प्रोन्नति समिति के समान होगी जैसा कि कॉलम सं. 3 में दिया गया है।	
		संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के कोई दो अधिकारी।	सदस्य			
8	कनिष्ठ समयमान	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग।	अध्यक्ष	संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी।	लागू नहीं।	
		रेलवे बोर्ड के स्थापना निदेशालय में कार्यपालक निदेशक।	सदस्य			संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के कोई दो अधिकारी
		रेलवे बोर्ड के प्रबंधन सेवाएं निदेशालय में कार्यपालक निदेशक।	सदस्य			

[फा. सं. 2020/ई(जी)/आरआर/23/1]

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव (गोपनीय)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Indian Railway Management Service Group ‘A’, namely:-

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Indian Railway Management Service (Group ‘A’) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires:-

- a) ‘ACC’ means the Appointment Committee of the Cabinet.
- b) ‘Commission’ means the Union Public Service Commission.
- c) ‘Controlling Authority’ means the Ministry of Railways, Government of India.
- d) “Departmental Promotion Committee, Departmental Confirmation Committee and Departmental Screening Committee” means committees to consider promotion, confirmation of officers and grant of Non-Functional Upgradation and Non-Functional Selection Grade respectively, in any grade constituted in accordance with Schedule III to these rules.
- e) ‘duty post’ means any post in a Grade mentioned in Schedule I to these rules.
- f) ‘Examination’ means the Civil Services Examination conducted by the Union Public Service Commission.
- g) ‘Government’ means the Government of India.
- h) ‘Grade’ means the Grades of duty posts specified in Column 2 of the Schedule I.
- i) ‘regular service’ in relation to any Grade means the period of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the rules and includes any period—
 - i. taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in the grade at the time of commencement of these rules;
 - ii. during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post.
- j) “level” in the pay matrix means the level specified in third row of Part A of the Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.
- k) “pay matrix” means matrix specified in Part A of the Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016, with levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing pay band and grade pay or scale.
- l) ‘Schedule’ means the Schedules appended to these rules.
- m) ‘Service’ means the Indian Railway Management Service, which shall consist of the posts or grades or time scales mentioned in Schedule I to these rules.
- n) The expressions ‘Scheduled Castes’, ‘Scheduled Tribes’, ‘Other backward Classes’, ‘Economically Weaker Sections (EWSs)’ and ‘Persons with disabilities’ shall have the meanings respectively assigned to them in the Constitution of India or Acts of Parliament.

3. Constitution of Service.-

- (1) An Organised Service known as the Indian Railway Management Service consisting of persons appointed to the Service under rule 6 shall stand constituted with the notification of these rules.

- (2) All the posts included in the Service shall be classified as Group A posts.

4. Grades, Authorised Strength and its review.-

- (1) The designations, levels in the pay matrix, grades, sanctioned strength, of the duty post on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), by notification in Official Gazette, the Government may, from time to time-
- make addition, alteration, substitution or modification to the number of duty posts, grade, designation and level in the pay matrix specified in Schedule I;
 - in consultation with the Commission, include in the Service any duty post or exclude from the Service any duty post mentioned in Schedule I;
 - in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the service under clause (b) to the appropriate grade.

5. Members of the Service.-

The following persons shall be the Members of the Service, namely:-

- Persons covered under clause (c) of sub-rule (2) of rule 4; and
- Persons appointed to the duty posts under rule 6.

6. Future maintenance of the Service.-

(1) Any vacancy in any of the grades specified in Schedule I after the commencement of these rules shall be filled in the following manner, namely:-

- 50 per cent of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment through Civil Services Examination conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age-limit specified by the Government in consultation with the Commission.
- 50 per cent of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion through selection, in the manner specified in Schedule II.

(2) The appointment in the grade of Junior Time Scale shall be made in consultation with the Commission.

(3) The appointment in the grades of Senior Time Scale and above of the Service shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade possessing minimum qualifying service and in the manner as specified in Schedule II.

(4) The selection of officers for promotion shall be made by selection except in the case of promotion to post of Non Functional Selection Grade which shall be on the basis of seniority subject to suitability on the recommendation of the committee constituted for this purpose in accordance with Schedule-III.

(5) The selection in each case under sub-rule 3 shall be on the recommendation of the Departmental Promotion Committee except in case of post in Apex, HAG+ and HAG. Selection in these cases shall be governed by Railway Board Resolution regarding norms for selection of officers for appointment to these posts, issued from time to time with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet.

7. Seniority.-

(1) The seniority of persons appointed to various grades of the Service and inter seniority between the direct recruits in the grade of Junior Time Scale and the officers promoted to Junior Time Scale on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government or Controlling Authority from time to time.

(2) For the cases not covered under sub rule (1) of rule 7, the seniority shall be determined by the Controlling Authority in consultation with the Department of Personnel and Training or Union Public Service Commission.

8. Deputation to other departments or organizations.-

Notwithstanding anything contained in these rules, officers appointed to the Service shall be liable to be sent on deputation to any other Central organisation or any of the State Governments or Union Territories or the autonomous bodies or Public Sector Enterprises of Government or State Governments or any foreign country having an agreement in this regard with the Government or State Government in public interest, subject to the Government instructions or orders in force from time to time for such deputation.

9. Liability for service in any part of India.-

The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

10. Probation.-

(1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale, shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders and instructions issued by the Government from time to time.

Provided further that any decision for any extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or an extension thereof, officers shall, if considered fit for the permanent appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, the officers may be required to undergo such training and instructions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of probation.

(5) In all matters not specifically provided for herein, the probationers will be governed by the provisions of the Indian Railway Establishment Codes or Manuals as amended from time to time and other orders in force issued by the Controlling Authority from time to time.

11. Non-Functional Up-gradation.-

(1) Whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying pay in a specific level in the pay matrix for which Non-functional upgradation is applicable, the members of this Service, who are senior to such Indian Administrative Service officer by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular level in the pay matrix shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher level in the pay matrix.

(3) Grant of Non-Functional Up-gradation shall be made on the recommendations of the Departmental Screening Committee as specified in Schedule III.

(4) The terms and conditions for grant of Non-Functional Up-gradation shall be as per the instructions or orders issued by the Government on the subject from time to time.

12. Other Conditions of Service.-

The conditions of service of the members of the Service, in respect of matters for which no provision is made in these rules shall, unless the Government otherwise orders, be the same as are applicable from time to time to officers of the Organized Group 'A' Central Service.

13. Disqualification.-

No person.-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who having a spouse living has entered into or contracted marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the service.

Provided that the Controlling Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

14. Regulation of Pay, Leave and Pension.-

The pay, increments, leave, pension and other conditions of service of officers of the various grades shall be regulated in accordance with the Indian Railway Establishment Code Volume I and Volume II and Indian Railway Establishment Manual or other relevant instructions in force from time to time issued by the Government or Controlling Authority.

15. Power to Relax.-

Where the Controlling Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Saving.-

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections, Persons with disabilities, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

17. Interpretation.-

If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

SCHEDULE – I

(See Rules 2(e), 2(h), 2(j,k,l,m), 4(1), 4(2) and 6(1))

The grades, designations, number of sanctioned posts and level in the pay matrix of duty posts included in the Indian Railway Management Service

S.N.	Grades of duty post	Designation@		level in pay matrix	number of posts*
		Railways	Railway Board		
1.	Apex	--	Chairman and Chief Executive Officer, Member, Director General	level 17 (Rs. 225000)	7
2.	HAG+	General Manager	Additional Member	level 16 (Rs.205400-224400)	59
3.	HAG	Principal Chief Manager	Principal Executive Director	level-15 (Rs.182200-224100)	139
4.	Senior Administrative Grade	Chief Manager	Executive Director	level 14 (Rs. 144200-218200)	791
5.	Non-Functional Selection Grade (NFSG)	Deputy Chief Manager	Director	level 13 (Rs. 123100-215900)	2325 # Up to 30% of total

6.	Junior Administrative Grade	Deputy Chief Manager	Not Applicable	level 12 (Rs. 78800-209200)	posts of Senior Time Scale and above will be in Non Functional Selection Grade
7.	Senior Time Scale	Senior Manager or Divisional Manger	Not Applicable	Level 11 (Rs. 67700-208700)	1395
8.	Junior Time Scale	Assistant Manager	Not Applicable	Level 10 (Rs. 56100-177500)	450

*Subject to variation dependent on workload.

@ Subject to new designations being introduced based on nature of work.

(a) There is no increase in overall strength of the Cadre.

(b) The no. of posts to be operated in Non Functional Selection Grade shall not exceed the total no. of sanctioned posts in JuniorAdministrative Grade.

SCHEDULE II

(See Rule 2(a), 2(b), 2(i), 6(1) and 6(3))

Method of appointment, field of selection and the minimum qualifying service for promotion to the higher duty posts(s) or Grade(s) of the Indian Railway Management Service.

S.N.	Name of the duty post, grade and level in pay matrix	Method of appointment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Apex (level 17)	By promotion and shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of ACC	Same as given in column number 3
2.	HAG+ (level 16)	By promotion and shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of ACC.	Same as given in column number 3
3.	HAG (level 15)	By promotion and shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of ACC	Same as given in column number 3
4.	Senior Administrative Grade(level 14)	By promotion on the basis of selection.	Officers in Junior Administrative Grade with eight years regular service in the grade i.e. in level 12 of pay matrix including Non-Functional Selection Grade or with seventeen years regular service in Group 'A' out of which at least four

			years regular service should be in the Junior Administrative Grade, including service rendered in the Non functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade.
5.	Non-Functional Selection Grade (NFSG) (level 13)	By placement on the basis of seniority subject to suitability.	Officers in the Junior Administrative Grade who have entered the fourteenth year of regular service in Group 'A' on the 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the officer was recruited or the year in which the officer was promoted to Group 'A' as the case may be.
6.	Junior Administrative Grade (level 12)	By promotion on the basis of selection.	Officers of the service in Senior Time Scale in level 11 of pay matrix who have completed five years regular service in the grade.
7.	Senior Time Scale (level 11)	By promotion on the basis of selection.	Officers in Junior Time Scale who have completed four years regular service in Group 'A' in level 10 of pay matrix.
8.	Junior Time Scale (level 10)	50 per cent by direct recruitment through the Civil Services Examination as per age, educational qualifications and other conditions as notified by the Central Government or Union Public Service Commission from time to time.	As notified by Union Public Service Commission from time to time.
		50 per cent by promotion through selection.	Group 'B' officers of Indian Railway Management Service (IRMS), in level 8 or level 9 of pay matrix with minimum three years regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility Service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-III

(See Rule 2(a), 2(b), 2(d), 6(4) and 11(3))

Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' duty posts of Indian Railway Management Service and Screening Committee for considering the cases carrying pay in a specific level in the pay matrix for which Non-Functional Upgradation is applicable.

Sl. No.	The Duty Post for which promotion, confirmation or Non Functional Upgradation is to be made.	Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee to the respective Duty Post mentioned in Column Number 2.	Departmental Promotion Committee for confirmation.	Composition of Screening Committee for the Non-Functional Upgradation in terms of DOP&T's OM No. AB.14017/64/2008-Estt.(RR) dt.24.04.2009 and 25.09.2009.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Apex	Shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of ACC.	Not Applicable.	Not Applicable

2	HAG+	Shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of ACC.		Not Applicable.	Not Applicable
3	HAG	Shall be governed by Railway Board's Resolutions issued from time to time with the approval of ACC.		Not Applicable.	Same as given in Column Number 3.
4	Senior Administrative Grade	Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board	Chairman	Not applicable.	Composition of Screening Committee is same as Departmental Promotion Committee, given in Column Number 3.
		Any two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board.	Member		
5	Non- Functional Selection Grade	Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board	Chairman	Not applicable.	Composition of Screening Committee is same as Departmental Promotion Committee, given in Column Number 3.
		Any two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board.	Member		
6	Junior Administrative Grade	Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board	Chairman	Not applicable.	Composition of Screening Committee is same as Departmental Promotion Committee, given in Column Number 3.
		Any two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board.	Member		
7	Senior Time Scale	Higher Administrative Grade level officer to be nominated by the General Manager of the Zonal Railway or Production Unit concerned.	Chairman	Not applicable.	Composition of Screening Committee is same as Departmental Promotion Committee, given in Column Number 3.
		Any two Senior Administrative Grade level officers to be nominated by the General Manager of the Zonal Railway or Production Unit concerned.	Member		
8	Junior Time Scale	Chairman or Member, Union Public Service Commission.	Chairman	Higher Administrative Grade level officer to be nominated by the General Manager of the Zonal Railway or Production Unit concerned.	Not Applicable.

		Executive Director in Establishment Directorate of Railway Board.	Member	Any two Senior Administrative Grade level officers to be nominated by the General Manager of the Zonal Railway or Production Unit concerned.	
		Executive Director in Management Services Directorate of Railway Board.	Member		

[F. No. 2020/E(G)RR/23/1.]

NAVIN KUMAR, Jt. Secy. (Confidential)